

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 155/08
संस्थापन दिनांक:-30/04/08
फाईलिंग नं. 233504000092008

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

कुंदन पिता ओझा
 उम्र 20 वर्ष, निवासी सुरनादेही,
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 07.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304(ए) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 22.02.2008 को दोपहर 01:00 बजे ग्राम कुंडारा के रास्ते पर लोक मार्ग पर वाहन टी.व्ही.एस. जिसका चेचिस नंबर 625KF5361E58316 इंजिन नंबर AF5E61339475 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मृत्तिका मालतीबाई की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आती।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2008 को सूचनाकर्ता ओमप्रकाश की रिपोर्ट पर थाना आमला में मार्ग क. 6/08 धारा 174 जा.फौ. इस आशय का दर्ज किया गया कि दिनांक 22.02.08 को उसके रिश्ते की भतीजी मालती यदुवंशी उसके भांजे बकराम के यहां शादी में ग्राम सुरनादेही गयी थी। शादी के बाद सुरनादेही से ठाकुर प्रसाद की स्टार सिटी मोटर सायकिल पर बैठकर वापस घाटाबाड़ी आ रही थी तभी ग्राम कुंडारा में रास्ते में मालती यदुवंशी मोटर सायकिल से गिर गयी जिससे उसे सिर में चोट लगी। जिसकी आमला अस्पताल में ईलाज कराकर बैतूल अस्पताल ले जाते समय आमला बस स्टैंड में मृत्यु हो गयी। उक्त मार्ग की जांच उपरांत थाना आमला में अभियुक्त कुंदन के विरुद्ध अपराध क. 54/08 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से टीवीएस स्टार सिटी लाल रंग की जिसका चेचिस नंबर 625KF5361E58316 इंजिन नंबर AF5E61339475 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.02.2008 को दोपहर 01:00 बजे ग्राम कुंडारा के रास्ते पर लोक मार्ग पर वाहन टी.व्ही.एस. जिसका चेचिस नंबर 625KF5361E58316 इंजिन नंबर AF5E61339475 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मृतिका मालतीबाई की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आती ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का सकारण निष्कर्ष

5 बलराम यादव (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को मृतिका मालतीबाई अभियुक्त कुंदन के साथ टीवीएस मोटर सायकिल में पीछे बैठकर घर जा रही थी। गाड़ी टकराने से मालतीबाई को चोट आयी और उसकी मृत्यु हो गयी। रामा (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसकी लड़की ग्राम सुरनादेही से अभियुक्त कुंदन की मोटर सायकिल में पीछे बैठकर आ रही थी तभी उसकी लड़की मोटर सायकिल से गिर गयी और घायल हो गयी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। कलंतीबाई (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे यह पता चला था कि मालती का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। रतन (अ.सा.-6) एवं चैनशा (अ.सा.-8) ने यह बताया है कि अभियुक्त कुंदन की मोटर सायकिल पर पीछे बैठी लड़की खंबे से टकराकर सीसी रोड पर गिर गयी थी। झब्बू (अ.सा.-10) ने यह बताया है कि अभियुक्त कुंदन की मोटर सायकिल में मालतीबाई बैठी थी। मोटर सायकिल खंबे से टकरायी, मालतीबाई घायल हो गयी और बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी।

6 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-15) ने अपने न्यायालयी परीक्षण में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 23.02.2008 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतिका मालतीबाई के शव का परीक्षण किया था। परीक्षण में मृतिका के सिर के पीछे बांये तरफ 3 गुणित 2 गुणित 2 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव जिसमें हड्डी टूटी हुई थी और हड्डी के टूटे हुए टुकड़े उसके मस्तिष्क में गड़े गये थे एवं हेमोटोमा भी पाया गया था तथा बांये पैर पर बड़ा खरोच का

निशान पाया था जो कि घुटने के जोड़ पर घुटने के ऊपर एवं नचे था तथा घुटने के जोड़ की हड्डी टूटी हुई पायी थी और घुटने का जोड़ उखड़ गया था एवं घुटने की नीचे की दोनों हड्डियां टूटी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतिका के आंतरिक परीक्षण करने पर उसके वक्ष में पर्दा, पसली, कोमलस्थ, कंठ एवं स्वास नली स्वस्थ पायी थी, दोनों फेफड़े कंजेस्टेड, हृदय खाली एवं वृहदवाहिका में खून पाया था तथा उदर में पर्दा आंतों की झिल्ली मुंह तथा ग्रास नली स्वस्थ पायी थी एवं पेट में ठोस तरल पदार्थ पाया था, छोटी आंत में पीला पदार्थ, बड़ी आंत में मल पदार्थ पाया था। लीवर स्वस्थ एवं तिल्ली एवं गुर्दा कंजेस्टेड पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत को आयी सभी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से आयी थी जो जीवन के लिए खतरनाक थी। साक्षी ने मृतिका की मृत्यु सिर एवं पैर की चोटों से शिकोंप के कारण होना प्रकट करते हुए शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-15) को प्रमाणित किया है।

7 मेहबू (अ.सा.-1) एवं बलराम यादव (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि पुलिस ने उनके समक्ष मालतीबाई का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया था। ओमप्रकाश (अ.सा.-9) ने यह बताया है कि उसने थाने में जाकर घटना की मर्ग रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) लेख कराया था तथा लाश का नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श पी-1) पर उसके हस्ताक्षर हैं। लहनू उबनारे (अ.सा.-14) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 23.02.2008 को थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को मर्ग क्र. 6/08 की डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर प्रदर्श पी-12 का सफीना फार्म जारी कर मृतिका मालती की लाश का नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श पी-1) तैयार किया था।

8 साक्षी मेहबू (अ.सा.-1), रामा (अ.सा.-2), कलंतीबाई (अ.सा.-4), बलराम (अ.सा.-5), रतन (अ.सा.-6), चैनशा (अ.सा.-8), झब्बू (अ.सा.-10), ओमप्रकाश (अ.सा.-9) एवं डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-15) की साक्ष्य से मृतिका मालतीबाई की मोटर सायकिल से दुर्घटना में मृत्यु होने की तथ्य की पुष्टि होती है।

9 लहनू उबनारे (अ.सा.-14) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 23.02.2008 को थाना बोरदेही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को मर्ग क्र. 6/08 की डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर प्रदर्श पी-12 का सफीना फार्म जारी कर मृतिका मालती की लाश का नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श पी-1) तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही बलराम की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि थाना प्रभारी द्वारा असल अपराध क्र. 54/08 की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल जाकर चेनसा की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-13) तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने निरीक्षक जे.एल. सुंदरे के साथ लगभग एक वर्ष कार्य किया है वह उनकी हस्तलिपि व हस्ताक्षर से परिचित है। प्रदर्श पी-14 का प्रथम सूचना

प्रतिवेदन, प्रदर्श पी-8 का मर्ग इंटीमेशन, प्रदर्श पी-4 का गिरफ्तारी पत्रक, प्रदर्श पी-3 का जप्ती पत्रक निरीक्षक जे.एल. सुंदरे की हस्तलिपि में होकर उक्त दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर हैं।

10 साक्षी सरविंद (अ.सा.-11) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 23.04.2008 को थाना बोरदेही के अपराध क्र. 54/08 से संबंधित बिना नंबर की मोटर सायकिल का मैकेनिकल परीक्षण किया जाना तथा वाहन में ब्रेक, क्लच, गेयर सही होना प्रकट करते हुए मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-9) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 कलंतीबाई (अ.सा.-4), रामा (अ.सा.-2), बलराम यादव (अ.सा.-5), रतन (अ.सा.-6), चैनशा (अ.सा.-8), झब्बू (अ.सा.-10) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को मृतिका मालतीबाई अभियुक्त कुंदन की मोटर सायकिल से सुरनादेही से अपने घर ग्राम घाटावाड़ीखुर्द वापस आ रही थी। उपर्युक्त साक्षीगण के उक्त कथनों को बचाव पक्ष के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को मोटर सायकिल अभियुक्त कुंदन के द्वारा ही चलायी जा रही थी।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि घटना मात्र साक्षी चैनशा (अ.सा.-8) एवं रतन (अ.सा.-6) ने देखी थी। यही मुख्य चक्षुदर्शी साक्षी हैं। इसके अतिरिक्त समस्त अभियोजन साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं जिन्होंने घटना अपने समक्ष घटित होते नहीं देखी थी। साथ ही किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। फलतः अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी मेहबू (अ.सा.-1), ध्रुवलाल (अ.सा.-3), बिसनू (अ.सा.-12) एवं फूलवंती (अ.सा.-13) ने घटना का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः न्यायालय के मत में मात्र स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला ध्वस्त नहीं हो जाता है। अतः बचाव अधिवक्ता को स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने के तर्क से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रकरण में मृतिका मालतीबाई के परिवार के लोग अनुश्रुत साक्षी हैं। उनके कथनों पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी कलंतीबाई (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसकी लड़की मालती का एक्सीडेंट हो गया था परंतु

कैसे हो गया था उसकी उसे जानकारी नहीं है। रामा (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर था। घटना दिनांक को उसकी लड़की अभियुक्त कुंदन की मोटर सायकिल में पीछे बैठकर ग्राम सुरनादेही से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में कुंदन ने मोटर सायकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया जिससे उसकी लड़की मोटर सायकिल से गिर गयी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि सूचना मिलने पर वह अपने घर पहुंचा, तो उसकी लड़की की लाश दूसरे लोग उसके घर लेकर आये थे। लोगों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि अभियुक्त कुंदन की गलती से उसकी लड़की की मृत्यु हो गयी। बिसन (अ.सा.-7) ने यह बताया है कि वह घटना के समय घर पर था। हल्ला होने पर मौके पर पहुंचा था। लड़की मौके पर तड़प रही थी। मौके पर बहुत सारे लोग थे। इसके बाद लड़की को कहां ले गये इसकी उसे जानकारी नहीं है।

15 **कलंती बाई (अ.सा.-4)** ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। **रामा (अ.सा.-2)** ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखा था। वह अपने घर पर था। जब उसने लोगों से पूछा तो उसे केवल यह बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया है। लड़की की मृत्यु कैसे हो गयी यह किसी ने नहीं बताया था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं जो कि घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे। साथ ही साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मालतीबाई की दुर्घटना कैसे हुई थी। **बिसन (अ.सा.-7)** ने भी यह बताया है कि वह हल्ला होने के बाद मौके पर गया था। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना होने के बाद मौके पर पहुंचा था। स्पष्टतः इस साक्षी ने भी घटना घटित होते नहीं देखी थी। अतः उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। फलतः बचाव अधिवक्ता का तर्क उचित होने से मान्य किया जाता है।

16 **बलराम यादव (अ.सा.-5)** ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के एक दिन पहले उसकी बेटी ममता की शादी थी। जिसकी शादी में मृतिका मालतीबाई आयी थी और अगले दिन मालतीबाई अभियुक्त कुंदन के साथ मोटर सायकिल में पीछे बैठकर अपने घर वापस जा रही थी। साथ ही एक लड़की और बैठी हुई थी। मोटर सायकिल अभियुक्त कुंदन की थी जो रोड में बहक गयी और बागुड़ में जो खंबा लगा हुआ था उससे जाकर टकरा गयी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्त कुंदन की गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ था। वह मौके पर उपस्थित था। उसने आमला से पिकअप बुलवायी थी। अभियुक्त ने तेज गति से गाड़ी चलाकर टकराया था जिससे मालती की मृत्यु हो गयी थी।

17 **रतन (अ.सा.-6)** ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह चौपाल पर बैठा था। तभी अभियुक्त कुंदन गाड़ी को तेज गति से लेकर

आया और खंबे से टकरा दिया जिससे लड़की सीसी रोड पर नीचे गिर गयी जिससे उसके परिवार वाले उठाकर ले गये थे। घटना के समय अभियुक्त कुंदन मोटर सायकिल चला रहा था। **चैनशा (अ.सा.-8)** ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त कुंदन गाड़ी को तेजी से चलाते हुए लाया था और खंबे से टकरा दिया था जिससे लड़की फड़ से सीमेंट रोड में गिर गयी। मौके पर वह तथा अन्य लोग भी थे। **झब्बू (अ.सा.-10)** ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके सामने हुई थी। वह लड़की लेने के लिए जा रहा था और रोड पर पानी पी रहा था, तभी अभियुक्त कुंदन तेज गति एवं लापरवाही से मोटर सायकिल चलाते हुए आया और खंबे से टकरा दिया जिससे दोनों गिर गये और मोटर सायकिल में पीछे बैठी मालतीबाई घायल हो गयी और बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी।

18 बलराम यादव (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय उसकी पुत्री की शादी थी। स्वतः में कहा कि घटना के समय वह मौके पर उपस्थित था और साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसने पुलिस को भी बता दिया था कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित था और घटना घटित होते देखी थी। यह भी बता दिया था कि अभियुक्त कुंदन की गलती से घटना हुई थी यदि उसके पुलिस कथन में यह बात लेख न की गयी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में ही यह बताया है कि गाड़ी अचानक रोड पर बहक गयी थी, बागुड़ में जो खंबा लगा था उससे टकरा गयी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि कुंदन ने जानबूझकर दुर्घटना कारित नहीं की। स्वतः में कहा कि जानबूझकर हुई या नहीं यह विधाता बता सकता है। साक्षी ने स्वतः में पुनः से यह बताया है कि घटना कुंदन की गलती से हुई थी।

19 बलराम यादव (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में यह बताया है कि घटना दिनांक को सभी मेहमान वापस अपने घर जा रहे थे। अभियुक्त कुंदन भी मोटर सायकिल से अपने गांव वापस जा रहा था जिसमें मालतीबाई पीछे बैठी थी। साक्षी से यह प्रश्न किये जाने पर कि नक्शा मौका बनाते समय घटना कहां से देखी थी तो साक्षी ने यह बताया कि मैंने पुलिस को यह नहीं बताया था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि मैंने केवल इतना बताया था कि घटना मैंने देखी है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 08 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसका मकान बजरंग मंदिर के काफी आगे है। स्वतः कहा कि बजरंग मंदिर से लगा हुआ है। इस सुझाव को सही बताया है कि बजरंग मंदिर के पश्चिम की ओर बिसनू का मकान और पूर्व की ओर चौपाल है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि बिसनू के मकान के सामने मेरा मकान है। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने डॉक्टर को यह नहीं बताया था कि कुंदन की गलती से एक्सीडेंट हुआ है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि पूछा ही नहीं सीधे पोस्टमार्टम किया था। आगे साक्षी ने यह बताया है कि उसने लड़की के माता पिता को बता दिया था कि कुंदन की गलती से एक्सीडेंट हुआ है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 09 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना उसने नहीं देखी। लड़की अपनी गलती

से मोटर सायकिल से गिर गयी थी। साक्षी ने स्वतः में बताया है कि वह मोटर सायकिल से टकराकर गिर गयी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था और लड़की को उठाया भी था। मैंने पुलिस को भी यह बताया था कि अभियुक्त कुंदन बात करते जा रहा था और कुंदन की मोटर सायकिल खंबे से टकरा गयी थी। यदि पुलिस ने उसके बयान में ऐसा न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 10 में यह बताया है कि अभियुक्त ने तेज गति से मोटर सायकिल चलाकर टकराया था जिससे मालती की मृत्यु हो गयी थी। यदि उक्त बात भी पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

20 रतन (अ.सा.-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने टायल को मौके से नहीं उठाया था। स्वतः कहा कि वह मौके पर ही था। साक्षी ने यह भी बताया है कि वह अभियुक्त को पहले से ही जानता है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त कुंदन के रिश्तेदार नहीं थे और चौपाल पर उसके अलावा कोई नहीं था। उसके अलावा किसी ने घटना नहीं देखी। इस सुझाव को सही बताया है कि बजरंग मंदिर और चौपाल के बीच में से खंबे के साईड से गाड़ी लेकर अभियुक्त निकला था और जैसे ही अभियुक्त ने ट्रैक्टर को देखा तो मृतिका के पैर खंबे से टकरा गये और वह धड़ाल से गिर गयी। सब ने दौड़ा भागी की और ईलाज कराने के लिए ले गये। साक्षी ने न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आप मौके पर अकेले थे या अन्य लोग भी थे तो साक्षी ने यह उत्तर दिया कि उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी थे। स्वतः में कहा कि उसके काका और भाई भी थे।

21 चैनशा (अ.सा.-8) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि चौपाल पर वह और रतन बैठे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रोड पर चढ़ी तो जो लड़की गाड़ी पर बैठी थी उसके पाव खंबे से टकरा गये। गाड़ी पर दो लड़की बैठी थी तो लड़की गिर गयी थी। साक्षी से यह प्रश्न किये जाने पर कि गाड़ी बोरदेही की ओर जा रही थी तो साक्षी ने उत्तर दिया कि गाड़ी स्पीड से आयी, खंबे से टकरायी और लड़की गिर गयी। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय उसने स्पीड नहीं देखी थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि लड़की का पाव खंबे से नहीं टकराता तो दुर्घटना नहीं होती। अभियुक्त ने जानबूझकर दुर्घटना कारित नहीं की। लड़की की गलती से उसका पाव खंबे में फंस गया था। झब्बू (अ.सा.-10) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे यह मालूम पड़ा था कि मालती गाड़ी से गिर गयी है। लड़की की मृत्यु कैसे हुई उसे नहीं मालूम। दुर्घटना कैसे हुई उसे नहीं मालूम।

22 साक्षी झब्बू (अ.सा.-10) ने मुख्य परीक्षण में घटना होते देखा जाना बताया है परंतु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे नहीं मालूम की घटना कैसे हुई थी। साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। अतः उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

23 **बचाव अधिवक्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह भी रहा है** कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। जहां तक अभियुक्त द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में बलराम यादव (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में घटना स्वयं के द्वारा देखा जाना बताया है। साक्षी ने अभियुक्त कुंदन के द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर एक्सीडेंट करना बताया है। उक्त साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः अखंडित रहा है। यद्यपि बचाव अधिवक्ता ने तर्क किया है कि उक्त साक्षी मौके पर नहीं था परंतु और न ही उसने अपने पुलिस कथन में घटना स्वयं के द्वारा देखा जाना बताया है परंतु उक्त साक्षी घटना स्वयं के द्वारा देखे जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित है तथा साक्षी ने अभियुक्त कुंदन की गलती से घटना होना बताया है।

24 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क यदि मान भी लिया जाये कि साक्षी साक्षी बलराम (अ.सा.-5) चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। तब भी साक्षी चैनशा (अ.सा.-8) ने अभियुक्त कुंदन के द्वारा गाड़ी को तेजी से चलाया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त तेजी से गाड़ी को चला रहा था। साक्षी ने स्वयं के द्वारा घटना देखा जाना बताया है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने जानबूझकर दुर्घटना कारित नहीं की थी। साक्षी अपने कथनों पर अखंडित रहा है। साक्षी रतन (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर खंबे से टकराना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता के द्वारा उसके पुलिस कथन बताये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि अभियुक्त मोटर सायकिल को बड़ी तेजी और लापरवाही से चलाकर टकराया था परंतु यह साक्षी भी अपने परीक्षण में पूर्णतः अखंडित रहा है कि अभियुक्त कुंदन मोटर सायकिल को चला रहा था और ट्रैक्टर को देखते ही मोटर सायकिल खंबे से टकरा गयी और मृत्तिका नीचे गिर गयी।

25 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** वाहन को मात्र तेजी से चलाया जाना लापरवाही का द्योतक नहीं है। बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित है कि मात्र वाहन को तेजी से चलाया जाना लापरवाही या उपेक्षा का द्योतक नहीं हो सकता है, साक्षी बलराम (अ.सा.-5), चैनशा (अ.सा.-8) रतन (अ.सा.-6) ने अपने कथनों में यह बताया है कि मोटर सायकिल वाहन की रफ्तार तेज थी सामने से ट्रैक्टर आ रहा था तभी अभियुक्त ने वाहन को खंबे से टकरा दिया था जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने घटना के समय उतनी सावधानी एवं सतर्कता नहीं बरती थी, जितनी कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को बरतना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को मोटर सायकिल को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर खंबे से टकरा दिया जिससे कि मालतीबाई मौके से ही घायल हो गयी और तत्काल पश्चात रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी।

26 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में जहां यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को वाहन मोटर सायकिल चला रहा था और उसने मोटर सायकिल को खंबे से टकरा दिया जिससे पीछे बैठी मालतीबाई की मृत्यु हो गयी। ऐसी स्थिति में सिवाय इसके कि अभियुक्त उपेक्षा एवं अत्यन्त तेज रफ्तार से वाहन को चलाकर खंबे से टकरा दिया था जिसके फलस्वरूप मृतिका मालतीबाई की मृत्यु हो गयी थी, अन्य कुछ भी उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **Mohammad Aynaddin Vs. State of A.P. 2001(1) MPWN 66(SC)** अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

27 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक मार्ग पर वाहन टी.व्ही.एस. जिसका चेचिस नंबर 625KF5361E58316 इंजिन नंबर AF5E61339475 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मृतिका मालतीबाई की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आती। फलतः अभियुक्त कुंदन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) के आरोप में दोषी पाया जाता है।

28 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

29 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतिका मालती की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

30 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा वाहन मोटर सायकिल टी.व्ही.एस. जिसका चेचिस नंबर 625KF5361E58316 इंजिन नंबर

AF5E61339475 को उपेक्षापूर्वक संचालित कर एक्सीडेंट कर मृत्तिका मालतीबाई की मृत्यु होने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

31 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304(ए) भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/- रु. के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

32 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

33 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टी.व्ही.एस. जिसका चेचिस नंबर 625KF5361E58316 इंजिन नंबर AF5E61339475 को ध्रुवलाल पिता ओझा यादव निवासी सुरनादेही, थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

34 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)